नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तारीख में जारी हुए

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –85/2017 दायर दिनांक 20.06.2017 GCMS CASE NO-2017/00039

1. सोहनलाल पुत्र नारायणराम अवकाम नायक निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़
2. बृजलाल पुत्र नारायणराम अवकाम नायक निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़
3. टिकुराम पुत्र नारायणराम अवकाम नायक निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़
4. मनफुलराम पुत्र नारायणराम अवकाम नायक निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़

—निगरानीकर्तागण

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र मनफुलराम जाति ब्राहमण निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़
2. सरपंच ग्राम ठेठार पंचायत समिति सूरतगढ़
3. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत ठेठार

—गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 एवं धारा 92 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित–

1. श्री सुरेन्द्र सुथार, अधिवक्ता निगरानीकर्तागण
2. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1

–::निर्णय::– दिनांक : 26.11.2025

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता ने जरिये निगरानी निवेदन किया है कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ग्राम पंचायत ठेठार का निवासी नहीं है तथा ना ही ठेठार में किसी अहाता पर कब्जा है। फिर भी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 व 3 से मिलकर निगरानीकर्ता के पिता नारायणराम के पैतृक अहाता का कब्जा दिखाकर उक्त जगह का पट्टा ग्राम पंचायत ठेठार से संकल्प संख्या 02/207 दिनांक 22.01.2013 की अनुपालना में पैमूदा 52 गुणा 60 कुल 346.66 वर्गगज का पट्टा संख्या 59 बुक संख्या 230 दिनांक 22.01.2013 जारी करवा लिया। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के इस पट्टा में वर्णित अहाता बाबत ना तो कोई आपत्ति नोटिस जारी हुआ व ना ही कमेटी की रिपोर्ट हुई। केवल कागजी खानापूर्ती करने के लिए अपने ही चहेते व्यक्तियों से हस्ताक्षर करवाकर 346.66 वर्गगज का पट्टा न्यून राशि में अपने नाम से जारी करवा लिया व सरकार को लाखों रूपयों का नुकसान पहुँचाया है। पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंचायत द्वारा किसी प्रकार का कोई स्थान का नियमितिकरण किया जाता है तो उस अहाता का कब्जा के सत्यापन व गवाह एवं वार्ड पंचों के हस्ताक्षर आदि होने के उपरांत लोक सूचना जारी होने के उपरांत पट्टा जारी किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की गई। पट्टा की मद संख्या 1 में स्पष्ट अंकन है कि अहाता पर आवंटी का 50 वर्षो से अधिक पुराने घर का कब्जा होना या राजस्थान पंचायती राज विभाग 1996 के प्रारम्भ होने की तारीख से पिछले 50 वर्षो के दोरान सह निर्मित होना अति आवश्यक है। जबकि अहाता पर प्रार्थीगण के पिता का कब्जा था। उनकी मृत्यु उपरांत [illegible] निगरानीकर्तागण का कब्जा है तथा मकानात बने हुए है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 आज लगभग 28 वर्ष [illegible] पट्टा जारी करवाने का पात्र नहीं है क्योंकि आवंटी का आहाता पर 50 वर्षो [illegible] कब्जा अति आवश्यक है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ठेठार का जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:09:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

914

Scanned with OKEN Scanner

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगरानीकर्तागण को जरिये नोटिस तलब किया गया। निगरानीकर्ता की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र सुथार उपस्थित हुए। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 की ओर से वकील श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 व 3 बावजूद पर्याप्त सूचना के आज दिनांक तक हाजिर नहीं आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस सुनी गई। वकील निगरानीकर्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि निगरानीकर्ता दिनांक 13.06.2017 को अपने पटटेशुदा अहाता पर निर्माण कर रहे थे तब गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 आये एवं अपने नाम से पट्टा जारी होना बताया। तब निगरानीकर्ता को जैर निगरानीकर्ता पट्टा की जानकारी हुई। इससे पूर्व निगरानीकर्ता को उक्त पट्टा की जानकारी नहीं थी। जानकारी की दिनांक से निगरानी अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जावे। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने मियाद प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा दिनांक 22.01.2013 को जारी किया गया था जबकि यह निगरानी लगभग 4 वर्ष 6 माह पश्चात विलंब से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कारण भी सत्याभासी नहीं है। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2015 (1) पेज 232, आरआरटी 2010 (2) पेज 801 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाकर निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जावे। पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि निगरानीकर्ता प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है तथा प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। अतः हम प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं पर ना करते हुए गुणावगुण पर करना उचित समझते है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं कथन किया कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ग्राम पंचायत ठेठार का निवासी नहीं है तथा ना ही ठेठार में किसी अहाता पर कब्जा है। फिर भी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 व 3 से मिलकर निगरानीकर्ता के पिता नारायणराम के पैतृक अहाता का कब्जा दिखाकर जैर निगरानी पट्टा जारी करवा लिया। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 अपने खेत मे ढाणी बनाकर निवास करता है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व किसी तरह की कोई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नहीं की गई। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 को बीपीएल श्रेणी का मानते हुए न्यूनतम राशि पर पट्टा जारी किया गया है, जबकि बीपीएल श्रेणी का व्यक्ति होने संबंधी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय वार्ड पंचों व पडोसियों के हल्फनामें भी नहीं लिये गये है। जबकि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 आज लगभग 28 वर्ष का जो पट्टा जारी करवाने का पात्र नहीं है क्योंकि आवंटी का आहाता पर 50 वर्षो तक कब्जा अति आवश्यक है। ग्राम पंचायत द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट में कितने वर्ष से निवास कर रहा है के स्थान में पैतृक शब्द अंकित किया है जिससे यह कतई साबित नहीं होता कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 उक्त अहाता में 50 वर्षो से अधिक समय से निवास कर रहा है। जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है जिसके तहत 300 वर्गगज तक का पट्टा जारी किया जा सकता है जबकि जैर निगरानी पट्टा 346.66 वर्गगज का जारी किया जो विधिक प्रावधानों से बाहर है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जावे।

वकील गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रथमतः तो निगरानीकर्ता द्वारा प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होने के संबंध में धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र ही पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके की निगरानीकर्ता प्रकरण में हितबद्ध है। जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 के तहत निगरानी पेश करते समय धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करने का विधिक प्रावधान है। यदि निगरानीकर्ता को मुझ गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के जैर निगरानी पट्टा दिनांक 22.01.2013 से किसी तरह की कोई आपत्ति थी, तो उन्हे 30 दिवस के भीतर प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति सूरतगढ़ के समक्ष अपील करनी चाहिए थी। निगरानीकर्ता हस्तगत निगरानी करने के अधिकारी नहीं है। निगरा[illegible] जैर प्रकरण अहाता पर उनका कब्जा होने संबंधी कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये है, क्योंकि उक्त [illegible] पर मुझ गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 का पैतृक कब्जा चला आ रहा है। जैर प्रकरण अहाता [illegible]डी की आबादी में स्थित है जबकि निगरानीकर्ता बारानी भूमि में निवा[illegible] है। [illegible] को उक्त पट्टा बीपीएल श्रेणी में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर जा[illegible] द्वारा अपने पैतृक कब्जाशुदा अहाता का पट्टा जारी करवाने हेतु ग्राम पंचायत ठेठार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:09:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत द्वारा नियमानुसार पत्रावली संधारित करते हुए आपत्ति नोटिस जारी किया तथा मौका रिपोर्ट ली गई जिस पर मौका जांच कर मौका नक्शा तैयार किया गया। समस्त तथ्य सही एवं नियमानुसार पाये जाने पर निर्धारित शुल्क जमा करवाकर पट्टा जारी किया गया। मुझ गैरनिगरानीकर्ता को जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 (1) के तहत 346.66 वर्गफुट का जारी किया गया है जो विधिसम्मत है क्योंकि दिनांक 19.02.2013 से पूर्व पट्टा जारी किये जाने संबंधी कोई सीमा तय नहीं थी तथा नियम 157 (1) में पुराने कब्जे का नियमन किया जा सकता है। इस प्रकार मुझ गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 को जारी पट्टा पूर्णतः विधिक प्रक्रिया अपनाकर एवं नियमानुसार ही जारी किया गया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाकर जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। निगरानीकर्ता का प्रथम कथन है कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ठेठार गांव का निवासी नहीं है बाहर ढाणी बनाकर निवास करता है तथा जैर निगरानी अहाता पर पुराना कब्जा नही है। इस संबंध में हमने पत्रावली का अवलोकन करने पाया कि पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य यथा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बिजली के बिल से यह साबित होता है कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ग्राम ठेठार का निवासी है। निगरानीकर्ता का द्वितीय कथन है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा पंचो की कमेटी बनाकर कमेटी रिपोर्ट नहीं ली गई तथा पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक सूचना भी जारी नही की गई। इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन करने से पाया कि प्रकरण में कमेटी द्वारा दिनांक 10.11.2012 को मौका जांच कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई तथा अहाता का नक्शा भी तैयार किया गया है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ठेठार द्वारा क्रमांक 207 दिनांक 20.11.2012 द्वारा आपत्ति नोटिस जारी कर एक माह में आपत्तियां चाही गई थी। आपत्ति नोटिस पर गवाहानों तथा उप सरपंच के हस्ताक्षर भी है। निगरानीकर्ता का तृतीय कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 से न्यून राशि लेकर सरकार को नुकसान पहुंचाकर पट्टा जारी किया गया है। जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। नियम 157 (1) के तहत पुराने गृहों का विनियममितिकरण हेतु पचास वर्षो के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिए 200/– शुल्क निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व गैरनिगरानीकर्ता से नियमानुसार राशि वसूल की जाकर ही पट्टा जारी किया गया है जो ग्राम पंचायत की प्रमाणित पत्रावली में उपलब्ध रसीद एवं रजिस्टर की प्रति से साबित है। निगरानीकर्ता का चतुर्थ कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा 300 वर्गगज भूमि तक का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत ठेठार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 (1) के दिनांक 22.01.2013 को 346.66 वर्गफुट का जैरनिगरानी पट्टा तहत जारी किया गया है जो विधिसम्मत है क्योंकि दिनांक 19.02.2013 से पूर्व पट्टा जारी किये जाने संबंधी कोई सीमा तय नहीं थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत ठेठार द्वारा जारी पट्टा में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं पायी जाती । निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन पायी जाने के निगरानी निरस्त करना हम उचित समझते है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। आदेशिका दिनांक 20.06.2017 द्वारा जैर निगरानी भूखण्ड़ की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने बाबत जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:09:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner